राजस्थान सरकार

निदेशालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक एफ 20 (101)आयोजना भिन्न/बजट/लेखा/निकाशि/2013–14/495-639 दिनांक 23/07/13

1. प्राचार्य समस्त राजकीय महाविद्यालय
2. समस्त सहायक निदेशक, क्षेत्रिय कार्यालय
   कॉलेज शिक्षा राज.

विषय :– वित्त वर्ष 2013–14 में चिकित्सा मद हेतु उपलब्ध कराई गयी राशि के उपयोग करने बाबत।

सन्दर्भ :– इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 189–317 दिनांक 10.6.2013

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सन्दर्भित पत्र के द्वारा वित्त वर्ष 2013–14 में महाविद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों के चिकित्सा बिलो के पुर्नभरण हेतु लिखा गया था। किन्तु IFMS पर देखने पर ज्ञात होता है कि अधिकांश महाविद्यालय स्तर पर लम्बित बिलों की पुर्नभरण की कार्यवाही अभी तक नही की गई है, अतः आपके महाविद्यालय को आवंटित की गई राशि में से सर्वप्रथम आपके यहां लम्बित बिलों की नियमानुसार जॉच कर भुगतान की कार्यवाही किये जाना सुनिश्चित करें भुगतान उपरान्त भी यदि महाविद्यालय स्तर पर बिल लम्बित रहते है तो मांग राशि के प्रस्ताव सन्दर्भित पत्र में दिये गये प्रपत्रानुसार निदेशालय को दिनांक 16.8.2013 तक आवश्यक रूप से भिजवायें। यदि महाविद्यालय में बिलों की पेण्डिग स्थिति शून्य है तो भी निर्धारित प्रपत्र में शून्य की सूचना आवश्यक रूप से भिजवाये। इस दिनांक तक यदि कोई प्रस्ताव निदेशालय स्तर पर प्राप्त नही होते है तो यह मान लिया जावेगा कि आपके महाविद्यालय में चिकित्सा बिलों के पुर्नभरण हेतु बिल पेण्डिग नहीं है ।

वित्तीय सलाहकार
कालेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक एफ 20 (101)आयोजना भिन्न/बजट/लेखा/निकाशि/2013–14/495-639 दिनांक 23/07/13

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. श्री धीरेनद्र देवर्षी व्याख्याता को प्रेषित कर लेख है कि विभाग की वैबसाईट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करावें।

वित्तीय सलाहकार
कालेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

zzE:\GOYAL\Allotment - 13-14.doc